Forward CI

13/2022-23

नामांतरण (दाखिल खारिज) के आवेदन पर कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन

नामांतरण मुकदमा संख्या 756

गांव धुजाडीह थाना डुमरी थाना सं0 101

जिला–गिरिडीह, इस्टेट का नाम–झारखण्ड

नामांतरण का कारण बंटवारानामा केवाला नं0 847 दिनांक 14/05/1920

(दान, बटवारा, विक्रय उत्तराधिकारी आदि)

पूर्णतः या अंशतः विक्रय रकवा जरसन खरीदार का पेश

खाता	अभिधारी का नाम	प्लॉट सं0	रकवा	लगान अलावे शेष	मसो0 उगनी पति लोचुर कुर्मी
	नामांतरण (दाखिल खारिज) के पहले मूल होल्डिंग				
03	बंधु बरई पिता चमन बरई	99 100 223 224 225 226 227 228	9 डी0 1एc4 डी0 49 डी0 51 डी0 6 डी0 14 डी0 1ए c 23 डी0 2 डी0		अं0अ0 / अ0नि0 महाशय, (1) आवेदित भूमि मौजा धुजाडीह थाना नं0 101 खाता नं0 03 सर्वे खतियान में रैयति खाते की भूमि है। आवेदित भूमि के विक्रेता की जाति कुर्मी है जो अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति/ पिछडी जाति/ के उन 51 जातियों की सूची से जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है से बाहर है। (2) विक्रय भूमि की जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 02 पृ0 05 पर विक्रेता के परदादा के नाम से कायम है तथा लगान रसीद निर्गत होता है (3) विक्रेता द्वारा अपने हक हिस्से की जमीन बिक्री की गई है। जिस पर वर्त्तमान में क्रेता दखलकार है। (4) आवेदित भूमि का मूल केवाला से मिलान किया एवं सही पाया। (5) आवेदित भूमि गैरमजरूआ आम, खास केशरहिन्द, वन–सीमा, भूदान, भूहदबंदी, सैरात, सरकारी भूमि, कब्रिस्तान, श्मशान, मंदिर, मस्जिद, धर्मस्थल एवं भू–अर्जन से मुक्त है। (6)इस नामांतरण से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (इ) का कोई उल्लंघन नही होता है अतः नामांतरण की स्वीकृति दी जा सकती है। राजस्व कर्मचारी का हस्ताक्षर हल्का सं0
	नामांतरण (दाखिल खारिज) के बाद मूल होल्डिंग		3 ए 96 डी0		
	नया होल्डिंग				
03	बिरजू प्रसाद पिता रामेश्वर चौरसीया	99 100 223 224 225 226 227 228	3 डी0 47.33 डी0 16.33 डी0 17 डी0 2 डी0 4.67 डी0 41 डी0 0.66 डी0 131.99 डी0		

महाशय, आवेदित भूमि मौजा धुजाडीह के खाता नं0 03 रैयती खाते की है, जो आवेदक बिरजू प्रसाद के परदादा बन्धु बरई पिता चमन बरई को केवाला सं0 847 दिनांक 14/05/1920 को बंटवारानामा किया प्राप्त है। अतः [illegible] जा सकता है।

Forwarded

~~03.02.2023~~
20.01.2023 अभिलेख उपस्थापित। रेणु चौरसिया एवं आशा चौरसिया द्वारा द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया है। उक्त आपत्ति के आलोक में अन्य पक्षों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 03.02.2023 को रखें।

अंचल अधिकारी
डुमरी

03.02.2023 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित एवं हाजिरी दाखिल। किशोर कु. चौरसिया, मनोज कु. चौरसिया वो विरजु प्रसाद यह स्वीकार करते हैं कि रेणु चौरसिया एवं आशा चौरसिया इनकी बहन है। रामेश्वर चौरसिया की पत्नी राधा देवी ब्यान करती है कि वे अपनी पुत्रियों का विवाह कर चुकी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि रेणु चौरसिया की दो पुत्रियों का शादी हमने ही किया है, इसमें भी बहुत खर्चा हुआ। मौजा धुआडीह की जमीन को मैंने अपने पुत्रों में बाँट दिया और मैं इस जमीन में अपने पुत्रियों को कोई हिस्सा नहीं देना चाहती हूँ। मेरे पुत्रगण इस जमीन पर अपने-अपने हिस्सा में दखलकार है।

रेणु चौरसिया पति स्व. नरेन्द्र चौरसिया का कहना है कि मेरे पास रहने के कोई जगह नहीं है। मैं अपनी पुत्रियों के साथ रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पुश्तैनी जमीन में से मुझे जीने के लिए जमीन दिया जाय। इनके द्वारा बताया गया कि कम से कम 02 कट्ठा जमीन हमलोगों को दिया जाय। रेणु चौरसिया एवं आशा चौरसिया ने 06 लाख 40 हजार रूपये Jail पाईप लाईन में मुआवजा के रूप में हासिल हुआ।

आशा चौरसिया पति स्व. ललित प्रसाद चौरसिया ब्यान करती है कि मौजा धुआडीह में 06 कट्ठा जमीन दिया जाय। Jail कम्पनी का भुगतान जो हमलोगों ने लिया है वे जानकारी मेरे भाईयों को है। यदि हमलोगों के बीच समझौता होता है तो हमलोग किसी सम्पत्ति का दावा नहीं करेंगे। यदि इनके द्वारा समझौता नहीं किया गया तो हमलोग Court में जायेंगे। अभिलेख दिनांक 21.02.2023 को रखें।

अंचल अधिकारी
डुमरी

02.2023 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित एवं हाजिरी दाखिल। मनोज कु. चौरसिया द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा कोई समझौता नहीं हुआ। किशोर कु. चौरसिया के द्वारा बताया गया कि उनका उनकी बहनों के साथ बातचीत हुई और इनका कहना है कि वे लोग हमारे यहाँ आये जायें रहे इसमें हमलोगों को कोई आपत्ति नहीं है। इनके बीच जमीन लेन देन की कोई बात नहीं हुई। विरजु

प्रसाद के द्वारा बताया गया कि बहन लोगों के साथ बातचीत हुयी है उनको रिश्ता बनाये रखने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उनके बाल बच्चों का किस्मा हमलोग नहीं लेंगे। राधा देवी बयान करती है कि जागतारा वाली जमीन मेरे पति के नाम पर है जिसको मैंने अपने पुत्रों में बॉट दिया जिसमें मैं पुत्रियों को हिस्सा नहीं देंगे। हमने अपने पुत्रों को जमीन बॉट दिया। इनकी माता के द्वारा बताया गया कि जमीन बॅटवारा में इनके हिस्से में कोई जमीन प्राप्त नहीं है।

रेणु चौरसिया का कहना है कि इनको रहने के लिए कुछ जमीन दिया जाय।

आशा देवी का कहना है कि हमें धुजाडीह में मात्र 06 कट्ठा जमीन दे दे। हम हिस्सा नहीं मॉग रहे हैं। दोनों पक्षों के द्वारा कोई सहमति नहीं बन पायी। अभिलेख आदेशार्थ रखे।

ह० /23
अंचल अधिकारी
डुमरी

आदेश

.02.2023 आवेदक बिरजु प्रसाद चौरसिया पिता रामेश्वर चौरसिया दाखिल खारिज वाद सं० 756/2022-23 मनोज कुमार चौरसिया पिता रामेश्वर चौरसिया दा० खा० वाद सं० 755/2022-23 एवं किशोर कु० चौरसिया पिता रामेश्वर चौरसिया दा० खा० वाद सं० 754/2022-23 में इनकी बहनो रेणु चौरसिया एवं आशा चौरसिया के द्वारा आपत्ति किया गया है कि बॅटवारानामा में उन्हें हिस्सा नहीं दिया गया है जबकि उनका हिस्सा बनता है।

उभय पक्षों की मौजुदगी में सुनवाई की गयी। श्रीमति आशा चौरसिया पति ललित प्रसाद चौरसिया ने मौजा धुजाडीह में 06 कट्ठा जमीन की मॉग किया एवं रेणु चौरसिया पिता नरेन्द्र चौरसिया ने भी यह मॉग किया कि उन्हें पुश्तैनी जमीन में कम से कम 02 कट्ठा जमीन दिया जाय परन्तु उभय पक्षों के द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की सहमति नहीं बन सकी। आपत्तिकर्ता रेणु चौरसिया एवं आशा चौरसिया की माता राधा देवी ने बताया कि मैं अपने पुत्रियों को कोई भी जमीन देना नहीं चाहती न ही तीनो भाई अपनी बहनो को जमीन देने के इच्छुक है। दाखिल खारिज वाद सं० 754/22-23, 755/22-23 एवं 756/22-23 में निहित जमीन 03 ए० 96 डी० बन्धु बढ़ई पिता चमन बढ़ई को बजरिये रजिस्ट्री केवाला सं० 847 दिनांक 14.05.1920 को हासिल था। बन्धु बढ़ई की वंशावली इस प्रकार है :-

बन्धु बढ़ई
↓
सुखु बढ़ई
↓
रामेश्वर चौरसिया पत्नी राधा देवी
↓

किशोर कु० चौरसिया	मनोज कु० चौ०	बिरजु प्रसाद	रेणु चौरसिया	आशा चौरसिया

बंटवारानामा दिनांक 15.05.2000 को नोटरी Public के Serial NO. 1785 दिनांक 15.05.2000 के द्वारा प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष एंव तृतीय पक्ष में किशोर कुमार चौरसिया, मनोज कुमार चौरसिया एंव बिरजु प्रसाद के बीच किया गया है अर्थात इनके पिता रामेश्वर चौरसिया बिना वसीयत के ही मृत हो गये। सामान्य उत्तराधिकारी नियम के अनुसार बिना वसीयत किये गये जमीन CLASS I वंशजो के बीच जमीन का बंटवारा किया जाना चाहिए (Section 06 A हिन्दु उत्तराधिकार कानुन 1956) CLASS I के उत्तराधिकारी ने रामेश्वर चौरसिया की पत्नी जो जीवित है उनके पुत्र या पुत्रियों के बीच बंटवारा किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया और न ही सभी पक्षों की सहमति ली गयी है। ऐसी परिस्थिति में दाखिल-खारिज वाद सं० 754/22-23, 755/2022-23 एंव 756/2022-23 खारिज किया जाता है।

लेखापित एंव संशोधित

(ह०) 23/2/23
अंचल अधिकारी
उमरी

(ह०) 23/2/23
अंचल अधिकारी
उमरी

Digitally signed by DHANANJAY GUPTA
Date: 2023.03.11 14:39:16 +05:30
Location: 192.168.101.4